

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| प्रकरण संख्या 006/2022 (GCMS 2022/9) | दायर दिनांक 22.02.2022 | निर्णय दिनांक 08.03.2022 |
|--|---------------------------|-----------------------------|

अनवान

मानवेन्द्र सिंह चौहान निवासी शिव कॉलोनी, कासोद दरवाजा,
निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांत**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (सचिव) नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

--:: निर्णय ::--

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (सचिव) नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.01.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./006/2022(सू.अ.)(08.03.2022)/36 दिनांक 25.02.2022 से लोक सूचना अधिकारी (सचिव) नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 08.03.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 08.03.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक 08.03.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (सचिव) नगर विकास न्यास,



चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2022/445 दिनांक 07.03.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री मानवेन्द्र सिंह चौहान शिव कॉलोनी, कासोद दरवाजा, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा चाही गयी सूचना आवेदन दिनांक 12.01.2022 में सूचना का प्रावधानानुसार पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/200 दिनांक 28.01.2022 से उपलब्ध करा दी है। आवेदक को दी गयी सूचना के पत्र की प्रति संलग्न है।

आवेदक ने उक्त पत्र के उपरान्त भी किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर अथवा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपेक्षित विवरण के अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (सचिव) नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2022/445 दिनांक 07.03.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक/लोसूअ/2022/200 दिनांक 28.01.2022 से अवगत कराया है कि आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में चाही गयी सूचना में प्रकरण संख्या/खातेदार/आवेदक, खसरा संख्या व स्वीकृति दिनांक का विवरण अंकित नहीं है। एवं बिन्दु संख्या 2 द्वारा चाही गयी सूचना में प्रकरण संख्या, आवेदक का नाम, खसरा संख्या एवं निर्णय दिनांक का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः प्रावधानों के तहत पूर्ण विवरण के अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2022/445 दिनांक 07.03.2022 से प्रेषित कमेंट्स में अवगत कराया है कि पत्र द्वारा सूचित किए जाने पर भी अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर अथवा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपेक्षित विवरण के अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेंट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने पर भी अपीलार्थी ने आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट व पूर्ण विवरण अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।



अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (सचिव) नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांत को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 08.03.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)